



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Partner
AP TRIVEDI SONS
Main Road Balaghat -481001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/73585/2015 dated 01 Apr 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

- | | |
|--|--|
| 1. EC Identification No. | EC22B001MP161462 |
| 2. File No. | 7675/2020 |
| 3. Project Type | Expansion |
| 4. Category | B1 |
| 5. Project/Activity including Schedule No. | 1(a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | Ramrama Opencast and underground Manganese ore mine with physical beneficiation (43.086ha) |
| 7. Name of Company/Organization | AP TRIVEDI SONS |
| 8. Location of Project | Madhya Pradesh |
| 9. TOR Date | 28 Jan 2016 |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 15/06/2022

(e-signed)
Shriman Shukla
Member Secretary
SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/73585/2015** - प्रकरण क्रमांक 7675/2020 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउण्ड फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष के साथ स्क्रीनिंग, क्रशिंग, जिगिंग एवं वाशिंग, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र.SIA/MP/MIN/73585/2015 एवं MP-SEIAA में पंजीयन दिनांक 17.09.2020) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बालाघाट के पत्र क्र. 9681 दिनांक 05.10.2011 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से अंदर स्थित है (संभागीय आयुक्त, जबलपुर की बैठक दिनांक 20.04.2017 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है)। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°51'18.331" से 21°51'46.781" और देशांतर 79°55'50.360" से 79°56'21.875" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जन सुनवाई दिनांक 15.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट में अपर कलेक्टर, बालाघाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 721वीं बैठक दिनांक 06.05.2022 एवं 728 वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउण्ड फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष के साथ स्क्रीनिंग, क्रशिंग, जिगिंग एवं वाशिंग, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407,

409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ. विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आदेश क्र. 670-671 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार 10 वर्ष (30.06.3032 तक विस्तार) की अवधि हेतु स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.06.2032 तक वैध रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त, जबलपुर की बैठक दिनांक 20.04.2017 के परिपलन में वन सीमा की ओर चैनलिंग फेन्सिंग किये जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
5. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 19500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम रमरमा के आंगनवाडी केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से 1 वर्ष तक पोषण अहार (दूध, अंडे एवं मौसमी फल आदि) का वितरण किया जाये।
- सोनावनी वन ग्राम के आंगनवाडी केन्द्र में वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट के परामर्श से 1 वर्ष तक पोषण अहार का वितरण किया जाये।
- मंगल भवन की मरम्मत के साथ भवचन की बाउन्ड्रवाल एवं किचन सेड का निर्माण किया जायें।
- समुदायिक हाल एवं महादेव मंदिर के चारो ओर पेयबल ब्लाक लगाये जाये।
- जल संसाधन विभाग कि अनुमति उपरांत ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्थित नाले का गहरीकरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से क्रियान्वित की जाएगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट द्रव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
28. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
31. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
32. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 40.72 लाख एवं पूंजी रू. 43.34 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

SEAC की विशिष्ट शर्तें:

I. Statutory compliance:

34. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
35. The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors-before commencing the mining operations.
36. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgments of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.
37. The Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board Wildlife, if applicable to the project.
38. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980, if applicable to the Project.
39. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish/Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
40. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.
41. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.
42. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" .
43. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.
44. Slag for filling of underground voids shall be initiated only after its suitability is established by conducting analytical study for leachate aspects from an institute of repute and after the permission of MP Pollution Control Board.
45. The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

II. Air quality monitoring and preservation

46. The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at

prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.

47. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road. Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/machineries and preventive maintenance. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board.

III. Water quality monitoring and preservation

48. In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.
49. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority /State Ground Water Department.
50. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre-monsoon (April-May), monsoon (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental, Forest and Climate Change and its Regional Office,
51. Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.
52. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

53. The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
54. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

V. Mining plan

55. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste

production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form of Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

56. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
57. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

VI. Land Reclamation

VI. Land Reclamation

58. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S. w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.
59. The reject/waste generated during the mining operations shall be staked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.
60. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.
61. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface runoff. The selection of local species regulates local climate parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dump. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/compactors thereby ensuring proper filling/leveling of dump mass. In critical areas, use of geo- textiles/ geo-membranes/clay liners/Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.
62. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC
63. Garland drain, Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/River/Pond etc). The collected water should be utilized for watering the mine area roads, green belt development, plantation etc. The drain /sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season and maintained properly.
64. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Apart from Existing Garland drain, further four drains will be provided having size of 404 X 0.25 X 0.25, 254 X 0.25 X 0.25, 468 X 0.25 X 0.25 and 534 X 0.25 X 0.25.
 - I. Apart from the existing settling tanks, further the settling tank will be two in number of size 60mL X 40mW X 5mD with 29 settling pit

- II. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
65. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments of sediments/silt material. The sedimentation pits/sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.
66. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.
67. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

| S. No. | Heads | At Present Ha. | At the end of 5yrs- Ha | At the end of conceptual period- Ha |
|--------|---|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Area Under Mining | 11.00 | 11.135 | 11.75 |
| 2 | Storage of Top Soil | - | - | - |
| 3 | Overburden Dump (S) | 13.4111 | 13.4111 | 13.4111 |
| 4 | Mineral Storage | 0.10 | 0.10 | Nil |
| 5 | Infrastructure (Admin Block, Staff room Etc.) | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
| 6 | Roads | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
| 7 | Greenbelt | 10.50 | 11.50 | 11.50 |
| 8 | Tailing Pond(S) | - | - | - |
| 9 | Effluent Treatment Plant. | - | - | - |
| 10 | Mineral Separation Plant | 2.00 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Others To Specify (Retaining Wall, Settling Tank & Garland Drain) | 0.20 | 0.35 | - |
| 12 | Un-worked land | 4.2469 | 2.9619 | 2.7969 |
| 13 | Total land | 43.086 | 43.086 | 43.086 |
| 14 | Water reservoir | 0.55 | 0.55 | 1.50 |
| 15 | Plantation | | | |
| | Un-worked area | 10.50 | 11.50 | 11.50 |
| | Backfilled area | - | 0.70 | 6.955 |
| | Dump area | 3.80 | 3.80 | 5.30 |
| | Bench area | - | - | 0.89 |
| | Total plantation area | 14.30 | 16.00 | 24.645 |

VII. Transportation

68. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs

resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling with also be done regularly. Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

69. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VIII. Green Belt

70. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP apart from the existing plantation of 14000, a minimum of 19500 trees shall be planted within three years in barrier zone, backfilled area and along the transportation route as follows:

| Schedule | Species | Number | Place |
|--|---|--|---|
| 1 st , 2 nd and 3 rd Year afforestation | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar, mahua, Khamar Katang Bas, | Biza -1000, Kusum,-500 Haldu - 500, Kachnar- 250, m Mahua- 1000, Khamar - 500 Katang Bas- 500 Total = 4250 | Dump Area |
| 1 st , 2 nd and 3 rd Year afforestation | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar, mahua, Khamar Katang Bas, Dahiman, Achar, Salyakarni and local species etc | Biza -1000, Kusum,-500, Haldu - 500 Kachnar- 250, Mahua- 1000, Khamar - 500, Katang Bas- 500, Dahiman -100, Achar- 2000, Salyakarni- 200 Total = 6250 | Non mining area Around open cast pit |
| 3 rd Year | Biza, Kusum, Haldu, Kachnar, mahua, Khamar Katang Bas, | Biza -1000, Kusum- 1000, Haldu -500 Kachnar- 500, Mahua- 1000, Khamar - 500, Katang Bas- 1000, Dahiman - 100, Achar- 300 Total = 5800 | Backfilled and Bench Area |
| 1 st & 2 nd year | Karanj, Mahua, Chirol, Sal Putaranjeva, Neem, and local species etc | 1200 | Along the transport Road |
| 1 st & 2 nd year | Karanj, Awala Neem, Aam, Kathal, Neebu, jamun, Munga and local species etc | 2000 | For distribution at Village |
| Total | | 19500 | |

71. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5 m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from

mining operations within the lease. The proposed Green belt shall be developed within first 03 years starting from windward side of the active mining area. The development of green belt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

72. The Project Proponent shall carryout plantation/afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc by planting the native species in consultation with the State Forest Department/Agriculture Department/Rural development department/Tribal Welfare Department/Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of tree.
73. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun should be scrupulously guarded/protected against felling the plantation of such trees should be promoted.

IX. Public hearing and human health issues

74. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
75. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.
76. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
77. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

X. EMP& Corporate Environment Responsibility (CER)

78. PP has proposed Rs 10.50 Lakhs under Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component.
79. The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/5/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & road constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually along with audited statement.
80. Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refrain from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

XI. Miscellaneous

81. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEFCC.
82. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
83. The project Proponent shall submit six monthly compliance report on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC & its concerned Regional Office, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board.
84. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientist and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEFCC.
85. The concerned Regional Office of the MoEFCC shall randomly monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the MoEFCC officer(s) by furnishing the requisite data/information/monitoring report.

ब मानक शर्तें

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस-पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।
5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।
8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।
9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।
10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।
11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।

12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू-टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।
13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेचेस/ गारलैंड ड्रेन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये। उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।
15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/टोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।
16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35° से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।
17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
18. पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी. एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी-बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।
19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/ सूक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।
20. RSPM, SPM, SO₂, NO_x की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता-निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील

लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।

21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO₂, NO_x) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।
22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।
23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।
24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जाये।
25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।
26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री-मानसून (अप्रैल-मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट-मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।
27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय-समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये। टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।

29. खनन कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहतियाती उपायों को समय-समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।
30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।
34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।
35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा।
36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।
38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।
44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।
47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय-समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO₂, NO_x (एम्बिएंट स्तर के साथ-साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।


49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म-V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - बालाघाट (म.प्र.)
5. संभागीय वन अधिकारी, जिला - बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला - बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी